## फर्द अहकाम
(नियम 26)

# न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

## पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– **अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट** 136 एल आर एक्ट मु.नं. 118 सन् **2019**

| तारीख हुक्म | हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.11.2019 | | |

यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थीनी गीतादेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण से प्राप्त हुआ। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थीनी गीतादेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी वार्ड न. 31 सुजानगढ वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट 136 एल आर एक्ट पेश कर निवेदन किया है कि ग्राम कस्बा सुजानगढ की जमाबन्दी संवत 2076–79 खाता सख्या 258/261 में प्रार्थीनी का नाम गोता देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण लिखा हुआ है वादिया का सही नाम गीतादेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण है अतः राजस्व रिकार्ड में वादिया का नाम गीता देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण दर्ज करने की कृपा करें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। हल्का पटवारी कस्बा सुजानगढ की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की अन्तर्गत धारा 88 आर टी एक्ट 136 एल आर एक्ट के अनुसरण में ग्राम कस्बा सुजानगढ तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी सम्वत् 2076–2079 में पुराना खाता संख्या 261 नया खाता संख्या 2258 में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्व किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि ) | आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज की जानी है) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | कस्बा सुजानगढ | 258/361 | गोता देवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी वार्ड न. 31 सुजानगढ | गीतादेवी पत्नी लक्ष्मीनारायण जाति जाट निवासी वार्ड न. 31 सुजानगढ |

निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे इजलास में सुनाया गया।

22/11/19

उपखण्ड़ अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ

2019
00210

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2019.12.13 15:21:22 IST
Reason: SelfAttested